न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 42/21 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/166

उनवान

1. श्रीमती अंगूरी देवी धर्म पत्नी स्व0 प्रेमस्वरूप (मृतक)
2. महेश चन्द स्व0 श्री प्रेमस्वरूप } जाति ब्राहम्ण नि0 रूदावल तह0 रूपवास, भरतपुर।
3. गीतादेवी पुत्री श्री प्रेमस्वरूप }

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. केशवदेव पुत्र गिर्राज
2. बृजबिहारी पुत्र गिर्राज (मृतक)
   2/1. विमला पत्नी बृजबिहारी
   2/2. राधा
   2/3. सुनीता
   2/4. योगेन्द्र
   2/5. जीतेन्द्र
   2/6. गोपेश
   (2/2 से 2/6 : पिस0 बृजबिहारी)
   (1 से 2/6 : जाति ब्राहम्ण नि0 रूदावल तह0 रूपवास, भरतपुर।)
3. लक्ष्मन सिंह पुत्र दयौजी (मृतक)
   3/1. रेशमदेवी वेवा लक्ष्मन सिंह
   3/2. रामवीर पुत्र लक्ष्मन सिंह
   3/3. ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह
   3/4. नीरज पुत्र लक्ष्मन सिंह
4. पूरन सिंह पुत्र दयौजी
5. दीवान सिंह पुत्र राम सिंह
   (3 से 5 : जाति गुर्जर नि0 मडोली तहसील रूपवास, भरतपुर।)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.......................असल रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 30.03.2015 प्र0स0 103/12 उनवान प्रेमस्वरूप बनाम केशवदेव।

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी पदेन ... भरतपुर (राज.))

अभिभाषकगण :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री भूपत कुमार जैन, नरेन्द्र कुमार उपस्थित।

दिनांक :– 05.08.2024

निर्णय

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 429, 430, 434 वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। जो वादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो0 को उनके पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुये हैं। विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता गिर्राज प्रसाद संवत 2012 से पूर्व ही बतौर गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। संवत 2012 में गिर्राजप्रसाद का कब्जा होने के कारण उन्हें मुताबिक कानून स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वादी अपीलाण्ट सन् 1951 में रेलवे में नौकर हो गया तथा अपनी नौकरी पर चला गया एवं सन् 1963 तक नौकरी करता रहा। पिता की मृत्यु के बाद मॉ एवं दोनो छोटे भाई गॉव में ही निवास करते थे एवं परिवार का खर्चा वादी अपीलाण्ट ही उठाता था। वादी अपीलाण्ट के नौकरी की वजह से बाहर रहने के कारण पटवारी हल्का ने सहवन से विवादित आराजी पर पिता गिर्राज प्रसाद की मृत्यु के बाद वादी अपीलाण्ट को छोडते हुये, दोनों छोटे भाई के नाम विवादित आराजी के इंद्राज कर दिये। वादी अपीलाण्ट कुछ वर्षो के लिये भ्रमण पर चला गया एवं जब लौट कर आया तो प्रतिवादीगण रैस्पो0 विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट के 1/3 हिस्से से इंकार करने लगे एवं विवादित आराजी में से एक खसरा नम्बर 430 अवैध रूप से विक्रय भी कर दिया जो वादी अपीलाण्ट के हिस्से तक वातिल व बेअसर है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं विक्रय पत्र को वादी अपीलांट के हिस्से तक वातिल व बेअसर करने व विवादित आराजी का विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 31.01.2001 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा में की गयी, जो आदेश दिनांक 19.06.2002 से खारिज हुयी। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की, जो दिनांक 21.03.2012 से आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के आदेशो को अपास्त करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि जमाबन्दी संवत 2012 के अंकन की विवेचना करते हुये, पुनः तनकीवाईज निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2015 से दावा वादी अपीलाण्ट पुनः खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि गिर्राज प्रसाद के तीन पुत्र प्रेमस्वरूप, केशरदेव, बृजबिहारी हुये। विवादित आराजी पर संवत 2012 तक गिर्राज प्रसाद गैर मौरूसी दर्ज रहे एवं संवत 2013 में उनकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् संवत 2013–16 की जमाबन्दी में विवादित आराजी केशरदेव व बृजबिहारी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी, जो कानूनन गलत है। उक्त गलत इंद्राजो का लाभ लेते हुये, खसरा नम्बर 430 का विक्रय रैस्पो0 संख्या 03 लगायत 05 को कर दिया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक दावा रैस्पो0 एवं क्रेतागणो के विरूद्ध दायर किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 31.01.2001 से खारिज कर दिया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा में की गयी, जो
आदेश दिनांक 19.06.2002 से खारिज हुयी। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध
वादी अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की, जो
दिनांक 21.03.2012 से आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय
हाजा के आदेशो को अपास्त करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ
प्रतिप्रेषित की गयी कि जमाबन्दी संवत 2012 के अंकन की विवेचना करते हुये, पुनः
तनकीवाईज निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज
रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2015 से दावा वादी
अपीलाण्ट पुनः खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी
है। यह है कि विवादित आराजी पर संवत 2016 में रैस्पो0 केशरदेव व बृजबिहारी ने
अकेले अपने नाम खातेदारी के इंद्राज करा लिये। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान्
जिला कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो स्वीकार हुयी एवं रैस्पो0 केशरदेव व
बृजबिहारी की खातेदारी निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 ने माननीय
अति0 संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो खारिज हुयी। जिस
पर रैस्पो0 ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, वह भी खारिज हो गयी।
रैस्पो0 उच्च न्यायालय गये, वहाँ से अपील वापस ले ली। इस प्रकार श्रीमान् जिला
कलक्टर महोदय का आदेश आदिनांक तक बहाल है। श्रीमान् जिला कलक्टर ने अपने
निर्णय में रैस्पो0 की खातेदारी से पूर्व की स्थिति रखने एवं इंद्राज विचाराधीन दावा के
निर्णय के अधीन होने के आदेश दिये। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01
की विवेचना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत करने में त्रुटि की है। वादी
अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अंक तालिका प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें तत्समय
केशरदेव व बृजबिहारी दोनों ही नाबालिग थे एवं अपीलाण्ट बालिग था, जो नौकरी पर
था। संवत 2012 की जमाबन्दी में पिता गिर्राज प्रसाद गैर मौरूसी साल 2 अंकित हैं एवं
संवत 2013–16 की जमाबन्दी में दोनों रैस्पो0 खातेदार बन गये, जो कानूनन गलत हैं।
संवत 2012 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ एवं उस समय गिर्राज प्रसाद विवादित
आराजी पर गैर मौरूसी दर्ज थे। अतः गिर्राज को कानूनन संवत 2012 में ही खातेदार
बना देना चाहिये था। संवत 2013 में गिर्राज प्रसाद की मृत्यु हो गयी एवं संवत 2013–16
की जमाबन्दी में दोनों रैस्पो0 को खातेदार दर्ज कर दिया, जो तत्समय नाबालिग थे।
अतः वह विवादित आराजी को कैसे काश्त पर ले सकते थे एवं किस प्रकार काश्त कर
सकते हैं। केशरदेव अपने बयानो में कहते हैं कि विवादित भूमि हमारे कब्जा काश्त की
आराजी है। हमारे पूर्वज कभी भी विवादित आराजी पर गैर मौरूसी नहीं रहें। विवादित
भूमि हमने राजहंस नम्बरदार मौरूसी से प्राप्त की है। बाद में कहते हैं कि संवत 2013 में
विवादित आराजी पर पिता गिर्राजप्रसाद गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं। पिता की मृत्यु संवत
2013 में हुयी। हम नाबालिग थे। इस प्रकार रैस्पो0 स्वयं अपने बयानो में स्वयं को
नाबालिग बताते हैं एवं स्वीकारोक्ति से अच्छी कोई साक्ष्य नहीं हो सकती। संवत 2013 में
गिर्राज की गैर मौरूसी भी स्वीकार की है। अतः दोनों को गलत प्रकार से खातेदारी दी
गयी। रैस्पो0 ने यह नहीं बताया है कि उन्हें विवादित आराजी किस प्रकार एवं कहाँ से
प्राप्त हुयी। रैस्पो0 विवादित आराजी को राजहंस से लेने बताते हैं। परन्तु राजहंस के
कोई बयान नहीं कराये कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार रैस्पो0 अपने
खातेदारी के स्त्रोत नहीं बता पाये हैं। विवादित आराजी पर कब्जा भी अपीलाण्ट ने बयानो
से साबित कराया है। विवादित आराजी पर रिकार्ड व कब्जे की स्थिति संवत 2012 की
देखी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी तनकी संख्या 01 का निर्णय अपीलाण्ट के
विरूद्ध करने में त्रुटि की है। इसी प्रकार शेष तनकियों का भी निर्णय गलत ही किया है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी में तीनों भाईयो को 1/3–1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप एवं तनकीवार तार्किक है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को पैतृक आराजी बताया है एवं पिता की मृत्यु संवत 2013 में होना बताया है। परन्तु मृत्यु की तारीख नहीं बतायी है। अपीलाण्ट के जो बयान अधीनस्थ न्यायालय में हुये हैं उनमें भी विरोधाभास है। पिता की मृत्यु संवत 2013 के अंत में होना बताते हैं एवं बृजबिहारी का जन्म पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 08.09.1957 को होना बताते हैं, जो संभव नहीं है। रैस्पो0 की खातेदारी सन् 1957 में दर्ज हुयी है एवं दावा 1991 में किया है, जो मियाद बाहर है। बहनो को पक्षकार नहीं बनाया। स्वतंत्र गवाह महाराज सिंह के भी बयान अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुँचाते हैं क्योंकि महाराज सिंह, गिर्राज की मृत्यु को 42 वर्ष पूर्व होना बताते हैं एवं स्वयं अपनी उम्र 43 वर्ष बताते हैं। कृषि कार्य के लिये बालिग होना जरूरी नहीं है। विवादित आराजी पर माता की काश्त थी अतः छोटे बच्चो के नाम विवादित आराजी दर्ज हो गयी। गैर मौरूसी की विरासत नहीं चलती। जिला कलक्टर का निर्णय दावे के निर्णय के अधीन है। दावा एवं अभिवचनो में अन्तर है। अपीलांट दावे से बाहर नहीं जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित 9 तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या :– इस तनकी का सावित करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था। वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही अपने पिता की मृत्यु संवत 2013 में होना स्वीकार करते हैं। संवत 2012 की जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पिता गिर्राजप्रसाद के नाम बतौर गैर मौरूसी में दर्ज रही है। अतः मुताबिक कानून गिर्राजप्रसाद संवत 2012 में ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हो जाते हैं एवं उनकी मृत्यु उपरान्त गिर्राज प्रसाद के समस्त वारिसान को विवादित आराजी जरिये विरासतन प्राप्त होगी। परन्तु विवादित आराजी गिर्राजप्रसाद के समस्त वारिसान को प्राप्त ना होकर संवत 2013–16 की जमाबन्दी में केवल प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी में अंकित हो गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अंक तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 नाबालिग थे एवं स्वयं प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने अपने बयानो में अपनी उम्र 10–12 साल होना स्वीकार करते हैं। विचारणीय बिन्दू है कि एक नाबालिग विवादित आराजी पर कैसे काश्त कर सकता है एवं कैसे विवादित भूमि को नम्बरदार से उपकाश्त पर ले सकता है। इसके अलावा प्रतिवादीगण रैस्पो0 अपनी किसी भी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि उनके पास विवादित आराजी किस प्रकार एवं कहॉ से प्राप्त हुयी। कोई व्यक्ति किसी भूमि पर वसीयत, रजिस्टर्ड वयनामा, दान अथवा विरासत से मालिक हो सकता है। परन्तु प्रतिवादीगण उक्त तथ्य से इंकार करते हैं। उनका मात्र यह कथन रहा है कि संवत 2016 में विवादित आराजी पर वह खातेदार दर्ज हैं। परन्तु उन्होनें यह नहीं बताया कि उनको विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये। जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है। पारिवारिक भूमि में एक भाई की काश्त, सभी भाईयो की काश्त मानी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जावेगी एवं पारिवारिक भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट ने तनकी संख्या एक को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है एवं वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी में स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 02— उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादी अपीलाण्ट पर ही है। चूंकि तनकी संख्या 01 वादी अपीलाण्ट के हक में पारित हुयी है एवं विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार पाये गये हैं। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर प्रतिवादीगण रैस्पो0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने के अधिकारी होते हैं। तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 03 — तनकी संख्या 01 व 02 के निर्णय अनुसार चूंकि वादी अपीलाण्ट के विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार पाये गये हैं अतः वह विवादित आराजी का विभाजन कराने के भी अधिकारी होते हैं। अतः यह तनकी भी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

9. तनकी संख्या 04 — चूंकि तनकी संख्या एक में विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होना सिद्ध है। अतः प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी में से अपने हिस्से से ज्यादा किया गया विक्रय प्रारंभ से ही वादी अपीलांट के हिस्से तक वातिल व बेअसर है एवं वादी अपीलाण्ट अपने हिस्से तक उक्त विक्रय पत्र को नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

10. तनकी संख्या 05— उपरोक्त तनकियों की विवेचना से प्रभावित होती है। प्रतिवादीगण रैस्पो0 वादी अपीलाण्ट से किसी भी प्रकार हर्जा 1000/— रूपये पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

11. तनकी संख्या 06— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी रैस्पो0 पर था। वादी अपीलाण्ट ने प्रेमवती, कान्ती देवी, शान्ति देवी को अपनी बहन होने के तथ्य से इंकार नहीं किया है। विवादित आराजी के पैत्रिक आराजी होने से विवादित आराजी में पुत्रियो को भी पुत्रो के समान अधिकार दिये गये हैं। अतः यह आवश्यक पक्षकार हैं। परन्तु यह भी सही है कि आवश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

12. तनकी संख्या 07— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन सहायता चाहने हेतु एवं वाद प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं है। तनकी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

13. तनकी संख्या 08— तनकी संख्या 07 से प्रभावित होती है। चूंकि तनकी संख्या 07 वादी अपीलाण्ट के पक्ष में पायी गयी है। अतः यह तनकी भी वहक वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

14. दादरसी —समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। प्रतिवादीगण रैस्पो0 अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। उपरोक्त तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः दावा वादी डिक्री

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह गिर्राजप्रसाद के समस्त वारिसान की जॉच कर विवादित आराजी बाबत् पक्षकारान को नियमानुसार वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावें।

15. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2015 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

16. निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर